


M-ESTABLISHMENT

निरीक्षण प्रतिवेदन



कार्यालय का नाम :- जिला स्थापना, मधुबनी

निरीक्षण की तिथि :- 01-03-2002

डा० बी० राजेन्द्र,

भा० प्र० से०

जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा० बी० राजेन्द्र, भा० प्र० सी०, जिला पदाधिकारी, मधुनी टारट दिनांक 01-03-2002 को जिला स्थापना
प्रशाखा, मधुनी का क्रिये गये निरीक्षण की अभिलिखित निरीक्षण रिपोर्ट।

1- परिचय :-

मधुनी जिला का श्रुजन बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 7217-2060/72 के०र० 1027-14, दिनांक 01-12-1972 द्वारा
दरभंगा जिला से पुष्क कर हुआ। तदनुसार यह जिला दिनांक 01-12-1972 से स्वतंत्र रूप से कार्यरत है एवं जिला स्थापना प्रशाखा भी उसी
तिथि से कार्यरत है।

जिला स्थापना प्रशाखा, मधुनी समाहरणालय के मुख्य भवन के निचली सतह के दक्षिण-पश्चिम भाग में एक बड़ा कमरा संख्या-30
में कार्यरत है।

मधुनी जिला भारत-नेपाल सीमा पर 3501 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इस जिला
को कुल आबादी 35, 70, 651 है जिसमें पुरुषों की संख्या 18, 37, 361 एवं महिलाओं की संख्या 17, 33, 290 है। इसी प्रकार कुल जनसंख्या
में 1, 24, 405 शहरी क्षेत्र एवं 34, 46, 248 ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है। मधुनी जिला की दूरी दरभंगा प्रमंडलीय मुख्यालय से 38 कि०मी०
है एवं यह सड़क परिवहन तथा रेल मार्ग से भी जुड़ा रहने के कारण यातायात को दृष्टिकोण से साधन-सम्पन्न है। मधुनी शहर मिथिला पंक्ति
के लिए विश्वविख्यात है तथा राजा बली का गढ़ बलिराजगढ़ बूबाबूवही प्रखण्ड भारतीय पर्यटन विभाग के अधीन है।

मधुनी जिला में 5 अनुमण्डल, 21 प्रखण्ड, 20 अंचल, 33 थाना, 3 ओपी०, 2 व्यवहार न्यायालय, 7 निबंधन कार्यालय। नगर परिषद
एवं 3 नगर पंचायत है।

2- प्रकार :-

श्री हरेन्द्र नाथ द्वे, सि० प्र० सी०, कार्यालय कृष्णाधिकारी, मधुनी जुलाई, 2000 से इस शाखा के प्रकार में हैं। इसके पूर्व श्री शैला
नन्दन दिवाकर, उप समाहर्ता इस शाखा के प्रकार में थे। श्री अवध किशोर मोदी, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, मधुनी जिला स्थापना
शाखा के वरीय प्रकार में हैं। इसके पूर्व श्री दीप नारायण सिंह, अपर समाहर्ता, मधुनी इस शाखा के वरीय प्रकार में थे। श्री धीर नारायण सिंह,
वरीय प्रवर कोटि सहायक दिनांक 01-10-2001 से प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत हैं। इसके पूर्व श्री शिवानन्द लाल दास, प्रधान सहायक के
पद पर कार्यरत थे। श्री राजेन्द्र पासवान दिनांक 01-07-2001 से कार्यालय अधीक्षक साभान्या के पद पर कार्यरत हैं। इसके पूर्व श्री अशोक महतो,
कार्यालय अधीक्षक साभान्या के पद पर कार्यरत थे।

जिला स्थापना प्रशाखा में स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1-	प्रधान सहायक	1	1	x	
2-	सहायक	9	8	x	
3-	अनुसूचक	2	3	x	

अति रिक्त एक-जिला जनशिक्षक कोषों में प्रति नियुक्ति ।

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित कर्मचारियों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	नाम / पदनाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता	अभ्युक्ति
1-	श्री धीर नारायण सिंह, प्रोसो	01-10-2001	मधुपुरा जिला	
2-	श्री सुब्रह्मचर पौद्दार, सहायक	19-01-2001	दरभंगा जिला	
3-	श्री मुस्ताक अहमद, सहायक	12-02-2001	रहिकी प्रखण्ड	
4-	श्री विजय किशोर यादव, सहायक	19-10-2001	विस्फी प्रखण्ड	
5-	श्री विरेश कुमार सिंह, सहायक	05-07-2001	सिवान जिला	
6-	श्री चन्द्रशेखर लाल कर्ण, सहायक	12-01-2001	मधुपुरा प्रखण्ड	
7-	श्री रमण प्रसाद सिंह, सहायक	19-10-2001	सहरसा जिला	जिला परिवहन शाखा में प्रति नियुक्त ।
8-	श्री कलीम अहमद, सहायक	09-10-2001	रहिकी प्रखण्ड	
9-	श्री कुलदीप कुमार, सहायक	21-08-2001	मधुनी जिला	जिला परिवहन शाखा में प्रति नियुक्त ।
10-	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, सहायक	05-12-2001	मुजफ्फरपुर जिला	अंधराठाढ़ी प्रखण्ड में प्रति नियुक्त ।
11-	श्री योशवर ठाकुर, सहायक	01-02-2002	खजौली प्रखण्ड	
12-	श्री राजेश्वर यादव, अनुसूचक	24-08-1987	खजौली प्रखण्ड	
13-	श्री रामाश्रीष सिंह, अनुसूचक	1983	खजौली प्रखण्ड	जिला जनशिक्षक कोषों में प्रति नियुक्त ।
14-	श्री रामचन्द्र पासवान, अनुसूचक	01-03-2002	पण्डौल प्रखण्ड	कम्प्यूटर शाखा में प्रति नियुक्त ।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला स्थापना प्रशाखा में स्वीकृत बल के अनुसार कर्मचारी पदस्थापित हैं । जिला

परिवहन शाखा में सहायकों का पद स्वीकृत नहीं रहने के कारण जिला तथापना शिखा में पदस्थापित दो सहायकों तथा श्री रमा प्रसाद श्री कुलदीप कुमार को जिला परिवहन शाखा में कार्यरत में प्रतिनियुक्त किया गया है। अनुभवक के स्वीकृत बल दो की जगह तीन अनुभवक हैं जिनमें एक अनुभवक जिला जनशिक्षाया कोषांगि में एवं एक अनुभवक रन0आई0सी0कैम्पूटर शाखा में प्रतिनियुक्त हैं।

राजपत्रित पदाधिकारी

जिला मुख्यालय में पदाधिकारियों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित	रिफिक
1-	उप विकास आयुक्त	1	1	-
2-	अपर समाहर्ता	1	1	-
3-	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम	1	1	-
4-	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	1	1	-
5-	जिला कल्याण पदाधिकारी	1	1	-
6-	जिला पंचायतराज पदाधिकारी	1	1	-
7-	जिला भू-अर्थन पदाधिकारी	1	-	1
8-	जिला योजना पदाधिकारी	1	1	-
9-	कार्यपालक दण्डाधिकारी	10	3	7

अनुमण्डलवार पदाधिकारियों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

सदर अनुमण्डल

1-	अनुमण्डल पदाधिकारी	1	1	-
2-	भूमि सुधार उप समाहर्ता	1	1	-

लगततर...५/-

- 3- कार्यपालक दण्डाधिकारी
- 4- सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी
- 5- अवर निवचिन पदाधिकारी

झंझारपुर अनुमण्डल

- 1- अनुमण्डल पदाधिकारी
- 2- भूमि सुधार उप समाहत्ता कार्यपालक दण्डाधिकारी
- 3- सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी
- 4- अवर निवचिन पदाधिकारी

बेनीपट्टी अनुमण्डल

- 1- अनुमण्डल पदाधिकारी
- 2- भूमि सुधार उप समाहत्ता कार्यपालक दण्डाधिकारी
- 3- अवर निवचिन पदाधिकारी

जयनगर अनुमण्डल

- 1- अनुमण्डल पदाधिकारी
- 2- भूमि सुधार उप समाहत्ता कार्यपालक दण्डाधिकारी
- 3- सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी

फुलपरस अनुमण्डल

- 1- अनुमण्डल पदाधिकारी
- 2- भूमि सुधार उप समाहत्ता कार्यपालक दण्डाधिकारी
- 3-

४ सक निरंखित

लगातार...५५५

जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड स्तर पर पयविक्षीय पदाधिकारियों के पदस्थापन की स्थिति :-

क्रमांक	पदनाम	रखी कुल बल	कार्यरत बल	रिक्त
1-	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	25	3	22
2-	सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	3	-	3
4-	आपूर्ति निरीक्षक	29	7	22
5-	ग्राम पंचायत पयविक्षक	20	4	16
6-	सहायक कृषि निदेशक	4	1	3
7-	अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी	5	1	4
8-	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	20	9	11
9-	प्रखण्ड सांख्यिकी पयविक्षक	20	13	7
10-	कनीय अभ्यन्ता § 2505 के अन्तर्गत §	20	11	9
11-	कनीय अभ्यन्ता § सर्बि 2575 के अन्तर्गत §	20	10	10
12-	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	20	18	2
13-	प्रखण्ड सडकारिता प्रसार पदाधिकारी	20		
14-	अंचल निरीक्षक	23	18	5
15-	प्रखण्ड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी	20		
16-	प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी	20		

लगातार... 5/-

लगातार... 5/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला मुख्यालयसहित सभी अनुमण्डलों में पदाधिकारियों के त्वीकृत बल के विरुद्ध काफी कम संख्या में पदाधिकारी पदस्थापित हैं जिससे दैनिक कार्यों के सम्यक्त्व में काफी कठिनाई हो रही है। इसी प्रकार विभिन्न प्रखण्ड/अंचल मुख्यालयों में भी काफी संख्या में रिक्त है। स्थापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि सभी कोर्ट के पदाधिकारियों के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु सरकार से पत्राचार किया गया है। स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि सभी कोर्ट के पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु पुनः स्मार का प्रारूप अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

अराजपत्रित कर्मचारी

मधुबनी समाहरणालय में कार्यालय अधीक्षक के दो त्वीकृत बल के विरुद्ध दो कार्यरत हैं। प्रधान सहायक के 70 त्वीकृत बल के विरुद्ध 56 कार्यरत हैं। जिला में लिपिक के त्वीकृत बल 319 के विरुद्ध 289, लेखा लिपिक के 30 त्वीकृत बल के विरुद्ध 30, आयुलिपिक के 19 त्वीकृत बल के विरुद्ध 12, राजस्व कर्मचारी के 182 त्वीकृत बल के विरुद्ध 171, अमीन के 48 त्वीकृत बल के विरुद्ध 24, चतुर्ध्वर्गीय कर्मचारी के 335 त्वीकृत बल के विरुद्ध 298 कार्यरत हैं। इसी प्रकार प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के 25 त्वीकृत बल के विरुद्ध मात्र 3, आपूर्ति निरीक्षक के 29 त्वीकृत बल के विरुद्ध 7 स्वं जीप चालक के 47 त्वीकृत बल के विरुद्ध 39 कार्यरत हैं।

स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापन हेतु पत्रांक 2231/स्थापना, दिनांक 29-12-2001 द्वारा आयुक्त एवं सचिव, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार पटना को पत्र भेजा गया है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापन हेतु पुनः स्मारित किया गया एवं उक्त पत्र की प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को भी दी जाय। पत्र का प्रारूप अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

अराजपत्रित कर्मचारी यथा, लिपिक, राजस्व कर्मचारी, लेखा लिपिक, अमीन, जीप चालक, अनुसूचक के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु समुचित प्रस्ताव स्थापना समिति की अगली बैठक में उपस्थापित करने हेतु स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है।

लगातार... 6/-

इस कार्यालय का निरीक्षण पूर्व में निम्नलिखित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	आयुक्ता, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	17-03-2001	03-11-2001	23-01-2002
2-	समाहर्ता, मधुखनी	19-02-1981	06-03-1981	06-05-1981
3-	अपर समाहर्ता, मधुखनी	30-06-1997	11-09-1997	-
4-	स्थापना उप समाहर्ता, मधुखनी	28-02-1980	07-03-1980	29-09-1980
5-	कार्यालय अधीक्षक, मधुखनी	28-04-1979	15-05-1979	31-07-1979

बिहार बोर्ड प्राथमिक नियमावली के नियम 60 के अनुसार सभी कोटि के निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग निरीक्षण

टिप्पणी की रक्षी संचिका संघारित है एवं निरीक्षण टिप्पणियों में दिशे गये निर्देशों के अनुपालन की विषयक सूचनाएँ रक्षी संचिका का अवलोकन किया । निरीक्षण टिप्पणियों का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में अप्रत्याशित बिलम्ब किया गया है । उदाहरण के लिए स्थापना उप समाहर्ता, मधुखनी द्वारा दिनांक 28-02-1980 को किये गये निरीक्षण की टिप्पणी 07-03-1980 को प्राप्त हो गई है किन्तु उसका अनुपालन प्रतिवेदन 29-09-1980 को भेजा गया, जो उचित नहीं है । अपर समाहर्ता, मधुखनी द्वारा दिनांक 30-06-1997 को निरीक्षण किया गया है एवं दिनांक 11-09-1997 को निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त हो गई है, किन्तु अभी तक उसका अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है, यह अत्यन्त ही खेदजनक है । निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन भेजना प्रधान सहायक की जिम्मेवारी है । अतः इस संबंध में उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है । स्थापना उप समाहर्ता, मधुखनी तत्कालीन प्रधान सहायक से स्पष्टीकरण प्राप्तकर संचिका के माध्यम से उपस्थापित करेंगे ताकि उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके । जो भी अनुपालन प्रतिवेदन भेजे गये हैं, अधिकारिता विन्दुओं पर यह लिखा गया है कि अनुपालन किया गया है/अनुपालन किया जा रहा है, यह उचित नहीं है । सामान्यतः अनुपालन टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए । यदि पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना संभव नहीं होता है तो कम-से-कम अंश रिम अनुपालन प्रतिवेदन अवश्य भेज दिया जाना चाहिए । स्थापना उप समाहर्ता

समाहर्ता: 2/2

मुख्यनी भविष्य में इसे सुनिश्चित करेगे एवं अपर समाहर्ता, मुख्यनी दारा किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन एक माह के अन्दर भेजकर अवगत करायेगे।

समाहर्ता, मुख्यनी दारा 1981 के बाद, अपर समाहर्ता दारा 1997 के बाद, स्थापना उप समाहर्ता, मुख्यनी दारा 1980 के बाद एवं कार्यालय अधीक्षक दारा 1979 के बाद इस कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया है, जो उचित नहीं है। सभी निरीक्षी पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में वर्ष में कम-से-कम एकवार इस प्रशाखा का अवश्य निरीक्षण करेंगे। बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 52 एवं 80 के अनुसार प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी को अपने प्रशाखा का वर्ष में दोबार निरीक्षण करना अनिवार्य है। स्थापना उप समाहर्ता भविष्य में इसे सुनिश्चित करेंगे।

5- पत्राचार :-

विवृत तीन वर्षों का प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
1-	1999	1098	1111
2-	2000	2068	1595
3-	2001	2651	2301
4-	2002	28-3-2002 तक	379
			358

बिहार अभिलेख हस्तक नियम 8 खंड 1 एवं 2 के अनुसार पत्राचार के लिये प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी सूची साधारण एवं मुख्य

अलग-अलग संग्रहित है किन्तु प्राप्त पत्रों में से कितने पत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है, अंकित नहीं है। उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राप्त पत्रों की तुलना में निर्गत पत्रों की संख्या 1999 को छोड़कर बहुत कम है। इससे स्पष्ट है कि प्राप्त पत्रों का जवाब सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पत्र मात्र मार्ग-निर्देश के लिए ही दिये गये हों किन्तु इस आशय की भी प्रविष्टि संबंधित तस्म में होनी चाहिए। प्राप्त पत्रों की तुलना में निर्गत पत्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए, इससे कार्यालय की सुस्ती मालूम होती है। प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी के सभी तस्मा नहीं भरे जा रहे हैं। निर्गत पत्रों की संख्या एवं तिथि की प्रविष्टि संबंधित तस्मा से टिप्पणी पुरत में अंकित नहीं किया जा रहा है। स्थापना उप समाहर्ता/प्रधान सहायक इस निर्देश का अनुपालन संबंधित सहायक से करवाना सुनिश्चित करेंगे।

6- अनुक्रमी पंजी :-

इस प्राखा में वर्षमाता क्रमानुसार अनुक्रमी पंजी संघारित की गई है जिसके अनुसार कुल 34 विषयों पर 504 संघिकारें खोली गई हैं। संघिकाओं के अवलोकन से पाया गया कि कुछ संघिकाओं की आवश्यकता नहीं है। अतएव इसे अनुक्रमी पंजी से हटा दिया जाय। विधि विषय की एक भी संघिका नहीं होनी चाहिये। जो भी पत्र प्राप्त होते हैं उसे संबंधित संघिका में ही उपस्थापित किया जाय। यदि उक्त विषय को संघिका नहीं खोली है तो पदाधिकारी से आदेश प्राप्त करने के बाद संघिका खोलकर, अनुक्रमी संख्या देकर उपस्थापित किया जाय।

7- कर्मसूचि :-

सभी सहायकों के लिये अलग-अलग कर्मसूचि संघारित है तथा वर्ष 2001 के लिखित पत्रों को लाल रयाही से अग्रणीत कर लाया गया है। प्रधान सहायक द्वारा प्रत्येक सप्ताह कर्मसूचि की जाँच की जाती है।

8- कार्य तालिका :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 115 के अनुसार सभी सहायकों के लिये कार्य तालिका संघारित है। साथ ही सहायकवार कार्य तालिका पर अंकित कराकर सभी सहायकों के बैठने के स्थान के पीछे टॉग दिया गया है ताकि यह पता चल सके कि किस सहायक द्वारा किस विषय से संबंधित संघिकाओं का कार्य सप्तादन किया जा रहा है।

9- प्रधान सहायक नोट बुक :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 117 के अनुसार प्रधान सहायक नोटबुक वर्षमाता क्रमानुसार संघारित है परन्तु इसे मात्र प्राप्ति पत्रों की प्रंजी के रूप में संघारित किया जा रहा है। इस प्रंजी में प्रतिदिन के महत्वपूर्ण घटनाओं का अंकित किया जाना चाहिये एवं तदनुसृत रिपोर्ट की कार्यवाही की जानी चाहिये। इससे कार्यालय कार्य में गुणात्मक सुधार आयेगा एवं नियमित समय-सीमा के अन्दर रिपोर्ट सनिशिलत किया जा सकेगा।

10- पंजियों की पंजी :-

इस प्राखा में पंजियों की पंजी संघारित है। इस पंजी के अनुसार कुल पंजियों की संख्या 35 है, जो 58 विषयों पर खोली गई है।

11- रटाफ पंजी :-

रटाफ पंजी संधारित है परन्तु विहित प्रपत्र में संधारित नहीं है । रथापना उप समाहर्त्ता को निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित प्रपत्र में रटाफ पंजी एक सप्ताह के अन्दर संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ताकि सभी कर्मचारियों के संबंध में एक नजर में जानकारी प्राप्त की जा सके :-

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	सेवा में योगदान की तिथि	नियुक्ति पत्र का पत्रांक/दिनांक	नियुक्ति पदाधिकारी का नाम / पदनाम	श्रेणिक योग्यता	पूर्व के सेवा इतिहास
1	2	3	4	5	6	7	8
दूरभाष की संख्या	रथायी/अस्थायी पता	निकटतम संबंधी का नाम	इस जिला में योगदान की तिथि	विभागीय कार्डाई की अद्यतन स्थिति	अवकाश संबंधी सूचना	अभ्युक्ति	
9	10	11	12	13	14	15	

12- सेवापुरत :-

मधुबनी समाहरणालय में कार्यरत सभी लोट के कर्मियों की कुल संख्या 114 के विरुद्ध 108 सेवा-पुरत ही उपलब्ध है । रथापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि शेष 6 कर्मियों में से 2 नवनियुक्त कर्मियों की सेवापुरत नहीं खोली गई है जबकि 4 कर्मियों की सेवापुरत उनके पूर्व के पदस्थापन स्थान से प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को स्मारित किया गया है । उपलब्ध 108 सेवापुरत में से आंशिक सेवापुरत को ही अद्यतन सत्यापित किया गया है । प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि शेष सेवापुरतों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि 31-3-2002 तक सत्यापित कर दिया जायेगा ।

रथापना उप समाहर्त्ता को निर्देश दिया जाता है कि 2 नवनियुक्त सहायकों की सेवापुरत एक सप्ताह के अन्दर खोलकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । जिन 4 कर्मचारियों की सेवापुरत अभी तक पूर्व के पदस्थापन के स्थान से प्राप्त नहीं हुई है, जिला स्तर से कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति कर एक सप्ताह के अन्दर मंगा लें एवं 31-3-2002 तक सभी सेवापुरतों का अद्यतन सत्यापन सुनिश्चित करें ।

उपलब्ध सेवा-पुरतिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इसका सत्यापन सही ढंग से एवं नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है

लगतार... 10/-

वर्षिक नियमानुसार नियंत्री पदाधिकारी को वर्ष में दो बार सेवा-पुस्तिका का सत्यापन करना है अर्थात् प्रत्येक वर्ष धेतन-दृष्टि की रवीकृति देने समय एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय । सामान्यतः देखा जा रहा है कि जब उत्पादिकाधिकारियों के निरीक्षण की तिथि निर्धारित की जाती है, उसी समय सेवा-पुस्तिका का सत्यापन किया जाता है, यह उचित नहीं है । सेवा पुस्तिका के सत्यापन के समय यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि संबंधित कर्मचारी को सेवा में डूट है अर्थात् नहीं, किने दिनों का उपार्जित अवकाश देय है एवं किने दिनों का उन्ही उपभोग किया है, आदि धेतन निर्धारण पूर्ण को निर्धारित स्थान पर विपकाकर रखा जाहिए न कि इसे लूज गिटि में रखा जाना जाहिए । स्थापना उप समाहर्त्ता/प्रधान सहायक भविष्य में इसे सुनिश्चित करेंगे ।

13- भविष्य निधि पासबुक :-

उपलब्ध 108 भविष्य निधि पास बुक में से कुछ पासबुक को अभी तक अद्यतन नहीं किया जा सका है, जो चिन्ता का विषय है । प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि आवंटन के अभाव में कुछ कर्मचारियों को धेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है, इसीलिए उनका भविष्य निधि पासबुक अद्यतन नहीं किया गया है । स्थापना उप समाहर्त्ता को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित कर्मचारियों को धेतन का भुगतान होने की क्षमबुक को अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे । प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि कार्यरत कर्मचारियों में से कुछ को छोड़कर अधिकतर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में कटौती की क्षमवरणी जिला भविष्य निधि कार्यालय को भेज दी गई है । स्थापना उप समाहर्त्ता एक सप्ताह के अन्दर अवशेष कर्मचारियों के कटौती विवरणी जिला भविष्य निधि कार्यालय को भेजकर अनुपालन प्रतिवेदन देने ताकि संबंधित कर्मचारियों को अद्यतन लेखा पूर्ण निर्गत किया जा सके ।

14- उपस्थिति पंजी :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-105 के अनुसार विहित प्रपत्र में दैनिक उपस्थिति पंजी संधारित है किन्तु स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा प्रतिदिन इसकी जाँच नहीं की जा रही है । स्थापना उप समाहर्त्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिदिन कार्यालय प्रारम्भ होने के आधा घंटा बाद उपस्थिति पंजी की जाँच करेंगे एवं अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे ।

15- अवकाश पंजी :-

आकस्मिक अवकाश पंजी विहित प्रपत्र पंजी-46 में संधारित है । अवकाश हेतु जो आवेदन दिया गया है, उसे संविधा में रखा गया है कि संविधा में टिप्पणी नहीं दी गई है । स्थापना उप समाहर्त्ता को निर्देश दिया जाता है कि अवकाश हेतु जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उनको

रचीकृति संचिका के माध्यम से ही दें । यह छोटी किन्तु महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

16- मंडार पंजी :-

मंडार पंजी विहित प्रपत्र में संधारित नहीं है । स्थापना उप समाहर्तर्त को निर्देश दिया जाता है कि मंडार पंजी की दो प्रति अविलम्ब संधारित करेंगे जिसमें में से एक पंजी में अन्यायी सामग्री एवं दूसरी पंजी में स्थायी सामग्री को इन्द्राज करेंगे एवं नियमित रूप से इसका सत्यापन सुनिश्चित करेंगे ।

17- संचिका संचालन पंजी :-

सभी सहायकों द्वारा अलग-अलग संचिका संचालन पंजी संधारित किया गया है और इसमें तिथिगत संचिकाओं के उपस्थापन संबंधी विवरणी दर्ज की जा रही है ।

18- वार्षिक वेतन वृद्धि पंजी :-

वार्षिक वेतन वृद्धि पंजी संधारित है एवं अप्तन है ।

19- सेवाचिह्न कर्मचारियों की पंजी :-

सेवाचिह्न होनेवाले कर्मचारियों से संबंधित पंजी संधारित है जिसमें इस वर्ष एवं अगले दो वर्षों में सेवाचिह्न होनेवाले कर्मचारियों की विवरणी अंकित की गई है । कर्मचारियों के सेवाचिह्न होने के समय ही सेवाचिह्न लाभ के शुभलान की कार्टवार्ड की जा रही है ।

20- वेतन भरपार्ड पंजी :-

सभी शीर्षों के लिए अलग-अलग वेतन भरपार्ड पंजी संधारित है ।

21- विपत्र पंजी :-

विहित प्रपत्र में वेतन विपत्र पंजी संधारित है एवं सभी सूचनाओं को इन्द्राज किया जा रहा है ।

22- आवंटन एवं निकासी पंजी :-

सभी शीर्षों के लिए आवंटन पंजी अलग-अलग संघारित की गई है जिसमें सरकार से प्राप्त आवंटनों को विधिवत दर्ज किया जा रहा है तथा उसी के अनुसार राशि को कार्रवाई को जा रही है ।

23- प्रतिवेदन एवं विवरणी :-

प्रतिवेदन एवं विवरणी तालिका दो प्रतियों में संघारित है जिसमें साप्ताहिक, मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों को पूर्ण विवरणी अंकित की गई है । नियमित समय से प्रतिवेदन भेजा जा रहा है ।

24- चपरासी बही :-

चपरासी बही विहित प्रपत्र में दो खंडों में संघारित है जिसमें शक स्थानीय कार्यालय के लिए एवं दूसरा बाहरी कार्यालय के लिए है ।

25- लंबित पत्रों की पंजी :-

बिहार अभिशेख हस्तक के नियम 14-क के अनुसार लंबित पत्रों की सूची प्राप्त एवं निर्गत पत्रों के लिए अलग-अलग संघारित की गई है तथा वर्ष 2001 के लंबित पत्रों को लाल रखाही से अणुणित किया गया है । पंजी के अवलोकन के दौरान पाया गया कि इस पंजी को प्रभारी पदाधिकारियों के समक्ष उपस्थापित नहीं किया जा रहा है जिससे निष्पादन में बिलम्ब हो रहा है । प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि लंबित पत्रों की पंजी को पाक्षिक रूप से प्रभारी पदाधिकारियों के समक्ष उपस्थापित कर, उनसे उचित निर्देश प्राप्तकर निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । स्थापना उप समाह्वलार्त इस अर्थ स्तर से सुनिश्चित करायेगे ।

26- विभागीय कार्यवाही :-

जिला स्थापना प्रशाखा में विभागीय कार्यवाही से संबंधित पंजी संघारित की गई है जिसमें सभी मामले दर्ज किये गये हैं । स्थापना उप समाह्वलार्त द्वारा बताया गया कि विभागीय कार्यवाही से संबंधित कुल 31 मामले लंबित हैं जिसकी विवरणी प्रिन्सिपल-क" पर संलग्न है । विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दो पदाधिकारियों क्रमाः श्री सुभाष चन्द्र झा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, झापुर एवं श्री राम

लखन प्रसाद सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पुलपरतस के जिम्मे विभागीय कार्याधी लंबित दशािया गया है जब कि दोनों पदाधिकारी क्रमशः इस जिला से विरमि, शैवांसित हो चुके हैं। प्रधान सहायक दारा बताया गया कि श्री शुभाष चन्द्र झा, कार्यालक दण्डाधिकारी, झंझारपुर के जिम्मे विभागीय कार्याधी के दो मामों को श्री उदय प्रताप सिंह, कार्यालक दण्डाधिकारी, झंझारपुर को एवं श्री राम राम लखन प्रसाद सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पुलपरतस के जिम्मे लंबित दो मामों में से एक मामला श्री सत्य नारायण चौधरी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुखनी को सौंपा गया है जब कि एक मामले में संचालन के पश्चात् प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि इस आशय की प्रविष्टि विभागीय कार्याधी पंजी में अविलम्ब दर्जकर अनुमालन प्रतिवेदन भेजें। रथापना उप समाहर्ता, मधुखनी को निर्देश दिया जाता है कि अधोस्तथारी की ओर से सभी संचालन पदाधिकारी को अर्दसरकारी पत्र के माध्यम से संचालन के पश्चात् एक माह के अन्दर जाँच प्रतीवेदन समर्पित करने हेतु दिशे जानेवाले निर्देश पत्र का प्राप्ति दो दिनों के अन्दर उपस्थापित करें। अधिक दिनों तक विभागीय कार्याधी के लंबित रहने से जहाँ एक ओर संबंधित सरकारी शैक को त्वरित न्याय से वंचित होना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी रक्षा की क्षति होती है।

27- उच्च न्यायालय से संबंधित मामों :-

माननीय उच्च न्यायालय में दायर मामलों से संबंधित एक पंजी संधारित की गई है जिसमें अद्यतन प्रविष्टि अंकित है। वर्ष 2001 से अद्यतन दायर पदाधिकारों की संख्या 20 है जिसमें से 15 मामों में प्रतिपत्र पत्र दाखिल किया जा चुका है। तीन मामलों में तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु क्रमशः अनुमंडल पदाधिकारी, बैनोपट्टी, रथापना उप समाहर्ता, मधुखनी एवं सरकारी अधिवक्ता, मधुखनी के यहाँ भेजा गया है जब कि दो मामलों में तथ्य विवरणी अनुमोदन हेतु संचिका उपस्थापित है। रथापना उप समाहर्ता, मधुखनी को निर्देश दिया जाता है कि जिन मामलों में तथ्य विवरणी तैयार करना लंबित है, उसे अविलम्ब तैयार करवाकर प्रतिपत्र पत्र दायर करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही दाखिल क्रिये गये तथ्य विवरणी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति मंगाकर अनुमालन की कार्यवाही एक माह के अन्दर सुनिश्चितकर अनुमालन प्रतिवेदन भेजें। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

28- लोक सभा / विधान सभा प्रश्न:-

लोक सभा/विधान सभा प्रश्न से संबंधित एक पंजी अलग से संधारित की गई है। रथापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि

लगाना...१५/८

संबंधित
संवर्ष 2001 में अद्यतन कुल 17 प्रश्न प्रोत्तल हूर हैं जिनमें से 12 प्रश्नों की उत्तर सायगी संबंधित विभाग की भेज दी गई है । 5 प्रश्नों से/उत्तर सायगी की माँग संबंधित अनुमण्डल/प्रुखण्ड से की गई है । स्थापना उप समाहलर्ता की निर्देश दिया जाता है कि उत्तर सायगी एक सपलट्ट के अन्दर प्रोत्तलकर संबंधित विभाग की भेजते हूर अनुमालन प्रतिवेदन दें । संबंधित प्रश्नों की विवरणी परिशिष्ट-ग पर संलग्न है ।

29- पेशान/उपपादन निरुपादन से संबंधित मामला :-

पेशान/उपपादान से संबंधित मामलों के लिर एक पंजी संघारित है एवं अद्यतन प्रविशिट की गई है । वर्ष 2001 से अद्यतन कुल 22 मामला प्रतिवेदित हूर हैं जिनमें से 17 मामलों का निरुपादन किया जा चुका है । 4 मामलों में विभागीय स्वीकृति हेतु खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार पटना की भेजा गया है, जो अद्यतन अणुत्तल है । एक मामला वेतन विसंगति निराकरण हेतु संबंधित है, जिस पर कार्रवाई चल रही है । स्थापना उप समाहलर्ता की निर्देश दिया जाता है कि खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग की स्घारित करने हेतु प्रश्न का प्रोत्तल दी दिनों के अन्दर उपस्थापित करें । संबंधित मामलों से संबंधित विवरणी परिशिष्ट-घ पर संलग्न है ।

30- अनुकमता के आधार पर नियुक्ति :-

अनुकमता के आधार पर नियुक्ति से संबंधित मामलों के लिर अलग से एक पंजी संघारित है, जो अद्यतन है । वर्ष 2000 से दिसम्बर 2001 तक कुल 138 व्यक्तियों की अनुकमता के आधार पर नियुक्ति की गई है । शेष 6 मामला विभिन्न विभागों के स्तर पर संबंधित हैं । स्थापना उप समाहलर्ता की निर्देश दिया जाता है कि संबंधित मामलों से संबंधित सभी कागजाल/अनुशांसा एक पक्ष के अन्दर प्रोत्तलकर अगली स्थापना समिति की बैठक में उपस्थापित करें ताकि उसका निरुपादन किया जा सके ।

निरुपण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2000 से अद्यतन माह के पहले स्थापना/अनुकमता समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित नहीं किये जाने के कारण बहुत से मामला संबंधित रहते थे किन्तु दिसम्बर 2000 से प्रत्येक माह स्थापना/अनुकमता समिति की बैठक आयोजित किये जाने से अनुकमता संबंधी मामलों का त्वरित गति से निरुपादन हो रहा है एवं लोगों में कर्मचारियों में जिला प्रशासन के प्रति विश्वासनीयता बढ़ी है । सला किये जाने से न केवल श्रुटाधार पर अंशुला लगा है बल्कि त्वरित गति से न्याय भी मिल रहा है ।

इस हेतु एक कर्मचारी को कर्माधिकार किया जाय, जो प्रत्येक माह सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान का अनुश्रवण करे।
एवं प्रत्येक माह आयोजित होनेवाली बैठक में सम्बन्धित विवरणी उपस्थापित करे।

33- सेवा-पुस्तक का सत्यापन :-

विभिन्न अनुमण्डलों/मुखण्डों/अंचलों के निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि जानकारों के अभाव में सेवा-पुस्तक का सत्यापन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। जिन कर्मचारियों को विभागीय कार्यावाही के फलस्वरूप अथवा अनियमितता पाये जाने पर दण्ड दिया जाता है, उसकी प्रविष्टि उनको सेवा-पुस्तक में नहीं की जा रही है। स्थापना उप समाहर्त्ता को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में अभिलेखों/पत्रियों की पूर्ण जाँचकर दिये दण्ड की प्रविष्टि संबंधित कर्मचारी की सेवा-पुस्तक में एक माह के अन्दर दर्ज कराना सुनिश्चित करे। एवं अनुपालन प्रतिवेदन दे। इस कार्य हेतु प्रधान सहायक एवं एक स्थापना के जानकार सहायक की प्रतिनियुक्ति सभी अनुमण्डलों/मुखण्डों/अंचलों में की जाय जो कर्मचारियों के सेवा-पुस्तक का भी सही ढंग से सत्यापन करवाना सुनिश्चित करे। अर्जित अवकाश की स्विकृति एवं विवरणी की प्रविष्टि भी सेवा-पुस्तक में दर्ज कराने पर विशेष ध्यान दे।

34- परिपत्रों का संकलन :-

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न अनुमण्डलों/मुखण्डों/अंचलों में पदस्थापित पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की सूची स्थापना प्रशाखा में नहीं रखी गई है। स्थापना उप समाहर्त्ता को निर्देश दिया जाता है कि सभी कोर्ट के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की सूची कम्प्यूटरों द्वारा तैयार करवाकर प्रशाखा में संघारित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें। यह भी पाया गया कि पदाधिकारियों/कर्मचारियों की स्थापना से संबंधित सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्र/परिपत्र का संकलन नहीं किया जा रहा है। स्थापना उप समाहर्त्ता को निर्देश दिया जाता है कि सरकार द्वारा निर्गत सभी पत्रों/परिपत्रों का संकलनकर वरिष्ठार/विषयवार संघारित करें ताकि जिला स्तरिय किसी विभाग से उसकी माँग किये जाने पर उपलब्ध करायी जा सके।

35- भविष्य निर्ध कटौती विवरणी का प्रेषण :-

जिला भविष्य निर्ध कार्यालय द्वारा सामान्य भविष्य निर्ध में कटौती की गई राशि का लेखा-पत्र तैयार करने की कार्यवाही युद्धांत पर की जा रही है। कतिपय निर्देशों के बावजूद सभी विभागों से मात्र 50% कर्मचारियों की ही कटौती विवरणी प्राप्त हुई है। स्थापना उप समाहर्त्ता जिला भविष्य निर्ध कार्यालय से संबंधित विभागों की सूची प्राप्तकर एक सप्ताह के अन्दर कटौती विवरणी माँगने हेतु भेजनेवाले पत्र का प्रारूप ग्रीष्म उपस्थापित करे।

36- वरीयता सूची का प्रकाशन :-

मुख्य नो जिला में कार्यरत सभी कोर्ट के कर्मचारियों की वरीयता सूची का प्रकाशन निम्नल्लेख कर दिया गया है :-

क्रमांक	पदनाम	कुल संख्या
1-	कार्यालय अधीक्षक	2
2-	आभुलिपिक	11
3-	प्रधान सहायक	57
4-	सहायक	270
5-	लेखालिपिक	30
6-	राजस्व कर्मचारी	173
7-	अमीन	24
8-	जीप चालक	39
9-	अनुसिक्क	274
कुल :-		880

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला में कार्यरत सभी कोर्ट के कुल 880 कर्मचारियों को वरीयता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है एवं तत्संबंधी सूचना सभी कार्यालयों/कर्मचारियों को दी जा चुकी है । यह अत्यन्त ही सराहनीय प्रयास है ।

37- अंकेक्षण :-

प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण को कोई भी विन्दू अनुमालन हेतु लंखित नहीं है । रथापना उप समाह्वतर्त को फर्दिया दिया जाता है कि अपन स्तर से पुनः जाँचकर संतुष्ट हो लें कि अंकेक्षण से संबंधित कोई विन्दू अनुमालन हेतु लंखित तो नहीं है । यदि कोई विन्दू लंखित पाई जाती है तो उसका अनुमालन प्रतिवेदन एक माह के अन्दर भेजते हुए तत्संबंधी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें ।

38- अन्याय्य :-

कार्यालय के नियमित साप्ताहिक की आवश्यकता है । पंजियों का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है परन्तु इसके रख-रखाव

में और सुधार को आवश्यकता है । पूर्व को पंजियों/संचिकाओं, जिनकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है, उसका वर्गीकरण कर, सूची बनाने जिला अभिलेखागार में अविलम्ब जमा करा दिया जाय ।

जिला स्थापना प्रशाखा में संघारित आपूर्ति मामलों/संचिकाएँ 3456-नागरिक आपूर्ति से संबंधित सभी मामलों/संचिकाएँ अभिलेख कार्यालयों/जिला आपूर्ति प्रशाखा में एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित कर दिया जाय । इसी प्रकार लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजकी स्थापना अवकाश सहित से संबंधित सभी मामलों जिला विधि प्रशाखा को एक सप्ताह में हस्तान्तरित कर अनुपालन प्रतिवेदन दें क्योंकि लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक के कार्यों को समीक्षा/मूल्यांकन जिला विधि प्रशाखा से ही किया जा रहा है ।

निरिक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रतिवेदन नियमित समय-सोमा के अन्दर भेज दिया जाय । यदि नियमित समय-सोमा के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाता है तो कार्यालय कार्य में गुणात्मक सुधार आयेगा और सभी निरीक्षण को सार्थकता भी सिद्ध होगी ।

39- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर जिला स्थापना प्रशाखा का कार्य संतोषप्रद कहा जा सकता है । पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच पूर्ण समन्वय है । सभी कर्मियों का और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है ।

M. Srinivasulu
8.6.2002
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 870 /स्थापना मधुबनी, दिनांक 10 जून, 2002 ई0 ।

प्रति लिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सेवा में सादर सूचनाई प्रेषित ।
प्रति लिपि : सदस्य राजस्व पर्वद, बिहार पटना को सेवा में सादर सूचनाई प्रेषित ।
प्रति लिपि : आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सेवा में सादर सूचनाई प्रेषित ।
प्रति लिपि : वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला स्थापना प्रशाखा को सूचनाई एवं आवश्यक कार्याई प्रेषित ।
प्रति लिपि : स्थापना उप समाह्वाली, मधुबनी को सूचनाई एवं अनुपालनाई प्रेषित ।

M. Srinivasulu
8.6.2002
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

विभागीय कार्यावाही से संबंधित अद्यतन विवरणी

आरोपित सरकारी श्रेयक का नाम	वर्तमान पदस्थान	आरोप का संक्षिप्त विवरण	निलंबित है या नहीं।	भाषा कब से लखित है।	संगतन पदाधिकारी का नाम / पदनाम	अभ्युक्ति
2	3	4	5	6	7	8
रमेश्वर महतो	प्रखंड कार्यालय खेनीपट्टी	भारत अजुतन की राशि गठन करने के संबंध में सरकारी राशि का गठन	निलंबित है।	26/6/99	श्री अजुल डरान अजुं पदां वेनीपट्टी	1809 दि० 14.10.01, 21.16 दि० 5.12.01 एवं 91 दि० 18.01.2002 तथ्य विवरणी प्राप्त साक्षिका संयोजन में
रंजाराण ठाकुर (भाउर)	अजुमंडल कार्यालय पुखापारा	सरकारी की अवहेलना एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर	निलंबित है।	16/6/2000	श्री उपेन्द्र नारायण उराव अजुं पदां झांझारपुर	1744 दि० 21.09.01 एवं 141 दि० 29.1.2002
नारायण महतो	अजुमंडल कार्यालय पुखापारा	आदेश की अवहेलना एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर	निलंबित नहीं।	17/2/2000	श्री शुभाष चन्द्र झा कां टपउं झांझारपुर	364 दि० 17.2.01, 961 दि० 4.6.01 1380 दि० 6.8.01, 2003 दि० 08.11.01 991 दि० 5.2.02
सुरेमान रायक	र्यूटीना अंचल अंचल लदबियाँ	बिना अनुमति के कार्यालय से अजुपस्थित रहना।	निलंबित नहीं।	11/6/2001	श्री शुभाष चन्द्र झा कां टपउं झांझारपुर	913 दि० 11.6.01, 1387 दि० 07.8.01 139 दि० 02.9.1.02, 191 दि० 05.2.02
जल कुमार	अंचल लदबियाँ	कार्यालय कार्य में छिल्लिता एवं आदेश का अवहेलना	निलंबित नहीं।	16/3/96	श्री रायलनारायण चौधरी	303 दि० 17.12.01, 1380 दि० 06.8.01 144 दि० 29.1.02, 191 दि० 5.2.02
गिरध प्रसाद सिंह	अजुमंडल कार्यालय पुखापारा	सरकारी राशि का गठन में सहभागिता।	निलंबित नहीं।	29/5/2001	विदेशक रंजं प्रं जिं भ्रां अश्रीं मधुबनी।	1989 दि० 5.11.01 एवं 67 दि० 16.01.01
शं ठाकुर	जिं भ्रां जिं अश्रीं मधुबनी।	फुट्टी के दिन में कार्यालय में गलत कार्य करने हेतु अनां डंगाणा	निलंबित नहीं।	1/8/2001	श्री आदित्य कुमार दास सॉ पदिं (दां) जिं भ्रां जिं मधुबनी	1758 दि० 24.09.01, 2132 दि० 6.12.01 एवं 146 दि० 29.01.02
जंद यादव	प्रखण्ड कार्यालय जयनगर	स्थानान्तरण के प्रकस्वरूप विरहित नहीं होने के कारण।	निलंबित नहीं।	10/9/2001	आशं प्रप क प्रं जिं पदां जयनगर रं अजुपदां	1933 दि० 22.10.01, 2067 दि० 27.11.01, 149 दि० 29.01.02
जंद साह	अंचल गधवापुर	बिना अनुमति के कार्यालय से लभातर अजुपस्थित	निलंबित नहीं।	13/9/2001	श्री दीना नाथ राम अजुपदां	1659 दि० 13.9.01 एवं 82 दि० 17.1.2002
जंद सिंह	अंचल रहिका	सरकारी कार्य गलत ढंग से जिं के कारण एवं सॉ कार्य में हेराफेरी	निलंबित नहीं।	17/9/96	श्री राम लखन प्रसाद उपां सश्रां शूंसं पुखापारा	1175 दि० 12.7.01, 1418 दि० 13.8.01, 1855 दि० 12.10.01, 73 दि० 16.01.02
कर्माचारी	अंचल राबूबरही	कर्तव्य में लापरवाही एवं राजस्व कबजात में हेराफेरी।	निलंबित नहीं।	19/6/97	श्री सुधांशु शूषण राम अजुं पदां पुखापारा	2246 दि० 31.12.01 द्वारा साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु अ0अशि0 राबूबरही को भेजा गया

परिशिष्ट - "क"

कृष्णराज पासवान व कर्मचारी	अंचल गधवापुर	उगाधिकृत रूप से अनुपस्थित	निर्वाचित नहीं।	16/6/98	श्री रातनारायण चौधरी उप सल्ला सं सचिव मधुबनी	1380 दि० 6.8.01, 2003दि० 8.11.01 2149 दि० 10.12.01, 66 दि० 16.1.02 191 दि० 5.2.02
रसमी झा व कर्मचारी	अंचल झांझारपुर	भारत कंबा से रजिस्टर 2 नै जमाबंदी तब कर शैलत पोखरा लगान सं कटवो के संवादा नै	निर्वाचित है। 717-22-7-2000	10/8/2000	श्री टीना नाथ राम अपरसमाहर्ता	1380 दि० 6.8.01, 2003दि० 8.11.01 2149 दि० 10.12.01, 68 दि० 16.1.02 191 दि० 5.2.02
हेम कुमार झा व कर्मचारी	तरखनौर अंचल	बिना सक्षम पदां के स्वीकृत के भारत कंबा से जमाबंदी कारण करना	निर्वाचित है। 1134-1-11-2000	10/11/2000	श्री टीना नाथ राम अपरसमाहर्ता	40 दि० 9.1.01, 2050 दि० 26.11.01 एवं 77 दि० 17.1.02
दल झा व कर्मचारी	तरखनौर अंचल	बिना सक्षम पदां के स्वीकृत के भारत कंबा से जमाबंदी कारण करना	निर्वाचित है।	10/11/2000	श्री टीना नाथ राम अपरसमाहर्ता	40 दि० 9.1.01, 2050 दि० 26.11.01 एवं दि० 17.1.02
न विवास भट्टो व कर्मचारी	अंचल बाबूघरही	कर्तव्य नै लापरवाही	2/4/1998	25/10/2000	श्री रातनारायण चौधरी उप सल्ला सं सचिव मधुबनी	अपरोप पत्र प्राप्त। मतव्य हेतु अपर समाहर्ता के यहाँ से प्राप्त सचिका संचालन में
हेम ठकुर व कर्मचारी	अंचल पंडौल	बिना अनुमति से मुख्यालय छोड़ने एवं कर्तव्य से अनुपस्थित	निर्वाचित नहीं।	8/3/2001	श्री रातनारायण चौधरी उप सल्ला सं सचिव मधुबनी	6.8.01, 2149 दि० 10.12.01, 143 29.1.02, 191 दि० 5.2.02
पल ठकुर व कर्मचारी	अंचल अंधराठली	जाती प्रपत्र एम निर्गत करवो।	निर्वाचित है। 601-30-3-2001	-	-	842 दि० 29.5.01, 1266 दि० 25.7.01, 1837 दि० 12.11.01
कीर भट्टो शैलक	तरखनौर अंचल	सरकारी शैलत को शैती सिद्ध करवो	निर्वाचित 26-10-99	28/4/2000	श्री टीना नाथ राम अपरसमाहर्ता	513दि० 17.3.01, 826 दि० 28.5.01 2003 दि० 8.11.01, 191 दि० 5.2.02
ला पासवान वालक	परखण्ड रघुटीना	प्रां दि० पदां के साथ दुर्लभतहार एवं कर्तव्य से अनुपस्थित	निर्वाचित 811-8-10-97	12/5/1998	श्री रातनारायण चौधरी उप सल्ला सं सचिव मधुबनी	1098 दि० 14.10.00, 63 दि० 17.11.00 1380 दि० 8.6.01, 2003दि० 8.11.01 191 दि० 5.2.02
सुदेव यादव वक	परखंड लौकही	आबिग्न के अनुरूप कार्य नहीं करवो।	निर्वाचित है 2004-14-9-2000	15/3/2001	श्री रातनारायण चौधरी उप सल्ला सं सचिव मधुबनी	961 दि० 4.6.01, 1380 दि० 6.8.01, 2149 दि० 10.12.01, 167दि० 31.1.02, 191दि० 5.2.02
गुर लाल मंडल वक	परखंड लौकही	योजना शक्ति का दुरुपयोग	निर्वाचित है 2003शं० 14-9-2000	15/3/2001	श्री राजेश कुमार उपरसमाहर्ता मधुबनी।	961 दि० 4.6.01, 1380 दि० 6.8.01, 2149 दि० 10.12.01, 165दि० 31.1.02, 191दि० 5.2.02
ला विनेन्द्र प्रसाद न पदां	परखंड हस्ताखी	जॉब के दौरान कबाजात नहीं दिखावो के कारण सील नहीं करवो	निर्वाचित है। 784-17-11-2000	9/7/2001	श्री टीना नाथ राम अपरसमाहर्ता	135दि० 29.1.02 द्वारा सरकार के सचिव, खा० आ० वा० विभाग पटना को मूल अभिलेख भेजा गया

राजानगर प्रखंड	विभागीय आदेश का उत्पन्न करने	निलंबित है।	-	-	1393दि0 8.8.01एवं स्मार हेतु
तौकही प्रखंड	भाटक दत्त का त्यवहार। अंतल प्रखंड को दृष्टित करने।	40-14-2-2000	498	श्री राम लखन प्रसाद उपर	सचिका संचालन में 168दि0 31.1.02 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई है।
अंतल राजानगर	राज पीकर कार्यालय डआना एवं नियंत्री पदां की आदेश का अवहेलना	निलंबित है	717	श्री सलतनारायण चौधरी उप सलतनारायण चौधरी	सम्बन्ध प्राति सचिका संचालन में
अंतल हरदारायी	दिना अनुमति के कार्यालय से बाहर जाने तथा हर्टी अस्थी के बाट श्री नही आना	-	1316	श्री उदेंद्र नारायण सिन्हा	990दि0 5.11.01,80दि0 17.1.02
श्री साह निरीक्षक	दिना अनुमति के कार्यालय से अनुपरिस्थित रहना।	निलंबित है।	31/7/2001	निदेशक ले० प्र० जि० बा०	118दि0 22.1.02 द्वारा आरोप पत्र की मांग की गई है।
श्री साह निरीक्षक	विषयी/ लतनियॉ	निलंबित नही।	214	श्री शोभ मिश्र, जि०बंरा	
अंतल कार्यालय खुटीना	के आरोप में विभागीय कार्यालय।	निलंबित है।	7/2/2002	पदां मधुबनी।	प्रपत्र क की मांग की गयी है।
अंतल कार्यालय विस्पी	वेनीपटी अनुमज्ज थाजा कांड सं० 83/2000 के तहत 18/7/2000 से 10/12/2001 तक न्यायिक दियसत में रहने के कारण।	निलंबित है।	194		
अंतल कार्यालय विस्पी	राजस्व कार्यों के निष्पादन में अभिरुचि नही लेना एवं शिक्षितता वरतने के कारण।	निलंबित है।	262		
अंतल कार्यालय विस्पी		निलंबित है।	21/2/2002		

Madhubani

21/2/2002

उद्योग न्यायालय / उद्योग न्यायालय से संबंधित मामलों का विवरण वर्ष-2001 से अग्रसार / वर्ष 2000-2001

परीक्षा - 'रक्ष'

क्र	केस नं०	नाम	जो०प०	विषय	अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री 03 दल 0 जे 0 नो 0 नं 0	श्रीमानन्द शा बराम	जो०प० 011	चतुर्थवर्ष से तृतीय वर्षों में प्रोन्नति के संबंध में।	ओ० सं० 1584 दि० 01.02.2001 से स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी द्वारा दाखल किया गया।
2.	श्री 03 दल 0 जे 0 नो 0 नं 0	श्रीवण कुमार शा बराम	जो०प० 011	चतुर्थवर्ष से तृतीय वर्षों में प्रोन्नति के संबंध में।	ओ० सं० 1583 दि० 14.02.2001 से स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी द्वारा दाखल किया गया।
3.	श्री 03 दल 0 जे 0 नो 0 नं 0 5 9 4 5 / 2 0 0 0	अरुण कुमार पाण्डेय बनारस राजेशरकार	बनारस जो०प० 011	जनसेवक को नियुक्ति के संबंध में	ओ० सं० 1581 दि० 01.04.2-2001 से स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी द्वारा दाखल किया गया।
4.	श्री 03 दल 0 जे 0 नो 0 नं 0 1 0 0 7 6 / 0 2	देवकुमार सिंह बनारस राजेशरकार	जो०प० 011	जनसेवक के नियुक्ति के संबंध में।	ओ० सं० 1580 दि० 01.04.2.2001 से प्रति-शपथ पत्र स्थापना उप समाहर्ता द्वारा पुरक शपथ पत्र सं० 7064 दि० 02.07.2001 स्थापना उप समाहर्ता द्वारा अंतिम शपथपत्र दाखिल किया गया।
5.	श्री 03 दल 0 जे 0 नो 0 नं 0 9 6 7 8 / 0 2	गोविन्द मिश्र बनारस राजेशरकार	अपर महाविधायक जो०प० 011	जनसेवक के नियुक्ति के संबंध में।	ओ० सं० 4539 दि० 01.09.2-2001 से स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी के पत्र सं० 1098 दि० 04-7-2001 के द्वारा अनुरोध किया गया।
6.	श्री 03 दल 0 जे 0 नो 0 नं 0 1 1 2 9 5 / 2 0 0 0	रामनिवेशर मिश्र बनारस राजेशरकार	अपर महाविधायक जो०प० 011	सेवा सुविधा के विरुद्ध	ओ० सं० 1706 दि० 03.07-2001 से स्थापना उप समाहर्ता द्वारा।

1- 2
 3
 4
 5

7. सी डब्लू जे एसो 0 नं० 13415/न2
 सुरपतिश्री बनम
 राजेश सरकार
 अपरमहार्थिवता
 सं०-11
 विभागीय कार्रवाई को
 स्थगित करने के संबंध में।
 शाचिका को प्रति
 दाखिल करने हेतु प्रार्थना
 गइती। पत्रांक 198 दि० 05-
 दि० 08-3-2001, फां० 198
 द्वारा स्मार्तिन विभा
 अथ सं० 2797 दि० 21-3-
 संक, सा० 100, मधुबनी जिला

8- सी डब्लू जे एसो 0 नं० 12661/02
 विनीद कुमार बनम
 राजेश सरकार
 जो 0 प० 0-4
 जनसेवक के नियुक्ति के
 संबंध में।
 अथ सं० 786 दि० 19-
 अथ सं० 2797 दि० 21-3-
 संक, सा० 100, मधुबनी जिला

8- राम०
 श्री डब्लू जे एसो 0 नं० 9900/02
 उमेश्वर सिंह एवं अन्य
 बनम राजेश सरकार
 एवं अन्य
 जो 0 प० 0-1
 श्री डब्लू जे एसो 0 नं० 2130/98
 में पारिल आदेश के अनुपालन
 में नियुक्ति को कार्रवाई
 नहीं होने के संबंध में।
 उप समाहर्त भूतक
 अथ सं० 786 दि० 19-
 अथ सं० 2797 दि० 21-3-
 संक, सा० 100, मधुबनी जिला

10- राम० जे एसो 0 नं० /2001
 शमभूल होटा बनम
 राजेश सरकार
 सामान्य भविष्य कीर्त्तियों
 राजेश के भुगतान के संबंध में
 जो 0 प० 0 रफरवा नं० 1
 28-7-2001 के तूक
 नियम पदार्थ नं० 1
 दाखिल।

11- सी डब्लू जे एसो 0 नं० /01
 सुतंजय कुमार मेहता
 बनम राजेश सरकार
 एवं अन्य
 जीपचालक के पद पर
 नियुक्ति के संबंध में।
 अनुपदार्थ नं० 1
 9-10-2001
 शपथ पत्र दा
 दि० 12-10-01

12- सी डब्लू जे एसो 0 नं० /01
 काली चौधरी बनम
 राजेश सरकार एवं
 अन्य
 अनुपदार्थ नं० 1 के
 संबंध में।
 प्रोत्सवित
 दि० 12-10-01
 नि शपथ पत्र सं 198 दि० 05-
 द्वारा स्मार्तिन विभा
 अथ सं० 2797 दि० 21-3-
 संक, सा० 100, मधुबनी जिला

शाचिका द्वारा

2

3

4

5

6

13- सी.एस.एल.जे.ओ.सी. 0 नं०

/2001

परमेश्वर महतो
बनारस राज्य सरकार एवं अन्य

निलंबन से संबंधित

तथ्य विवरणों के आधार करने हेतु अनुसूची, वेनोपट्टी को अनुरोध किया गया है। अंतिम तमाम के लिए सं० 9 दि० 18-1-2002 तारीख तमाम किया गया है।

14- सी.एस.एल.जे.ओ.सी. 0 नं०

/2001

गोप लाल दास बनारस
राज्य सरकार एवं अन्य

राजस्व कर्मचारी पद पर नियुक्ति

तथ्य विवरणों के आधार कर तथा अनुसूची मधुबनी द्वारा प्रतिशोध पत्र दालिका किया गया।

15- सी.एस.एल.जे.ओ.सी. 0 नं०

/2001

शैलजा देवी शांति बनारस
राज्य सरकार एवं अन्य

विभागीय कार्यालय में प्रस्तावित पद के संबंध में।

अर्थात् पारित। अनुसूची में घोषित रजि. नं० को इस कार्यालय के पत्रांक 2021 दि० 10.11.2001 के द्वारा निबंधित डाक से उपलब्ध करा दिया गया।

16- सी.एस.एल.जे.ओ.सी. 0 नं० 9997/01

धर्मनाथ पाण्डेय बनारस
राज्य सरकार एवं अन्य

दि० 13-7-62 से 3-3-82 तक निलंबन अधिका पुराने वेतन 18 प्रतिशत सूद के साथ भुगतान हेतु

तथ्य विवरणों के आधार कर प्रतिशोध पत्र तथा अनुसूची मधुबनी द्वारा दालिका।

17- सी.एस.एल.जे.ओ.सी. 0 नं० 1488/01

श्री सुरेन्द्र सिंह एवं
अन्य बनारस देवकभार सिंह
राज्य सरकार एवं अन्य

अनुसूची के नियुक्ति के संबंध में।

तथ्य विवरणों के आधार कर अनुसूची नैतिक उपस्थिति।

18- सी.एस.एल.जे.ओ.सी. 0 नं० 16069/01

गणेश प्रसाद बनारस
राज्य सरकार एवं अन्य

अनुसूची के नियुक्ति का मांग।

तथ्य विवरणों दालिका करने हेतु तथा अनुसूची मधुबनी को अधिभूत किया गया है।

1. 5 2.

पुस्तक सं-4

3 4 5

19- श्री 05 दल 0 जे 0 सी 0 नं 0 16171/01

अनुभवकार सिंह
एव अनंद बनाम
राज्य सरकार

जनसंबंध के निष्पत्ति
का मामला ।

तथ्य विवरणी तैयार
उपस्थान्पित ।

20- श्री 05 दल 0 जे 0 सी 0 नं 0 914/02

सुधाकर शर्मा बनाम
राज्य सरकार

जनसंबंध के निष्पत्ति
का मामला ।

सरकारने अ धिक्कत,
विवरणो तैयार करने हेतु

स्थान

प्रश्नकर्ता का नाम

प्रश्नसंख्या

विषय

प्राप्ति

उत्तर भेजे जाने का तिथि अंशुचित

लीकसभा/ विधान सभा प्रश्न से संबंधित विवरणों वर्ष 2001 से अद्यतन

प्रश्नसंख्या - 37

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

श्रीमति कल्पद्रु राय,
सो वि 080

नगरिंगपुरांसो
173 नगपुरांसो

श्री नरिन्द्र चौधरी, सहायक
का बतमान पदस्थान स्व
पदस्थान को तिथी के संबंध
में।

- 118/मुपथटो 19.8.97

श्रीमति नरु सा,
सो वि 080

अल्पसचिव प्रो सं 0
डो सं 005

प्रो वि 0 पद टो के रिक्त पदी
को सूचना तथा रिक्त पद
पर पदस्थान हेतु

संज्ञक सचिव, गोटो वि 0
वि 0 27.6.2000 680/स्थटो 15.7.2000

श्री बाबेधर सिंह भारती
सो वि 080

नगरिंगपुरांसो
अटरो-41

वर्जित प्रथम में अंशुचित
पदस्थान हेतु

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सु
विभाग 29.7.2000 705/स्थटो 20.9.2000

श्री शिवनंदन प्रो सिंह
सो वि 080

नगरिंगपुरांसो
सल-21

दैनिक पत्रिका परचरुथ
दंगर, कसवारी पुरिसदन
में का का राह है के संबंध
में।

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सु
विभाग-20.7.2000 745/स्थटो 1.8.2000

श्री
सो वि 080

नगरिंगपुरांसो
सो 24

वर्जित एवं चर्च के
स्वीकृत पद पर कसवारी
में रिक्त पद रहने के
संबंध में।

सरकार के अवर सचिव
कोटो एवं प्रो वि 0 विभाग
29.12.2000 55/स्थटो 12.1.2001

श्री गेभा पालवान
सो वि 080

नगरिंगपुरांसो
अ-8

श्रीमती अरु कुमार सिंह,
सो वि 0 के पद पर अंशुचित
दुर्गा स. पदस्थान के
संबंध में।

सरकार के अवर सचिव
भूमि सु विभाग
26.2.2001 347/स्थटो 26.2.2001

श्रीमती महतो
सो वि 080

नगरिंगपुरांसो 15

श्रीमती महतो से संबंधित
सो वि 0 समीक्षण के संबंध
में।

सरकार के अवर सचिव,
राजस्व प्रो वि 0 26.2.01 850/स्थटो 27.3.2001

श्री सर रत
सो वि 0 50

अल्पसचिव प्रो सं 0
14

सि वि 0 डिप्टी सचिव में जमा
राज्य को सूचना को मांग

सरकार के अवर सचिव,
सि वि 0 विभाग 2.6.01 1293/स्थटो 30.7.2001

जिल्ला अनुकम्प्या सभिति माधुबनी द्वारा अनुकम्प्या के आधार पर कियो जाये नियुक्ता कर्मियों की सूची।

अनुकम्प्या सभिति की हैक की तिथि	भूतक सरकारी सेवक का नाम/पदनाम	आश्रित का नाम	अनुशंसित संवर्ग / विभाग का नाम		अभ्युक्ति
			पद का नाम	विभाग का नाम	
19/12/2000	स्व० बाळाकांत झा प्र० स० लदनियाँ प्रखंड	श्री कुमुद रंजन	तृतीय वर्ग / सहायक	समाहरणालय	7
19/12/2000	स्व० शशीर अहमद, माती अनु० कार्या० सटर मधुबनी।	श्री मो० शमसेर आत्म	चतुर्थ वर्ग / अनुसेवक	समाहरणालय	
19/12/2000	स्व० रामदेव झा, जनसेवक बाबुरही प्रखंड	श्री दनेश कुमार झा	सहायक	समाहरणालय	
19/12/2000	स्व० राम नारायण ठाकुर शि० प्रा० वि० सलेमपुर	श्री सुधकर ठाकुर	शिक्षक	शिक्षा	
19/12/2000	स्व० महेन्द्र नारायण मंडल शि० प्रा० वि० सोहरवा	श्री राम पुकार रमण	शिक्षक		शिक्षा
19/12/2000	स्व० अशर्मा झा शिक्षक प्रा० वि० परसा	श्री दयाशंकर झा	शिक्षक		शिक्षा
19/12/2000	स्व० मकेश्वर प्रसाद सिंह शि० प्रा० वि० बजराहा	श्री लाल कुमार सिंह	शिक्षक		शिक्षा
19/12/2000	स्व० राम बहादुर प्र० साहु शिक्षक प्रा० वि० नितहा	श्री उमेश प्रसाद	शिक्षक		शिक्षा
19/12/2000	स्व० गोपालजी झा शि० प्रा० वि० शिविपट्टी	श्री ध्रुव कुमार झा	शिक्षक		शिक्षा
19/12/2000	स्व० परमेश्वर झा शि० प्रा० वि० महसैल	श्री जितेन्द्र कुमार झा	शिक्षक		शिक्षा
19/12/2000	स्व० राजेश्वर सिंह शि० प्रा० वि० कौबुछा	श्री दर्शनानंद प्र० सिंह	शिक्षक		शिक्षा
19/12/2000	स्व० बुद्धि गाथ झा शिक्षक प्रा० वि० दामोदरपुर	श्री सतीश चन्द्र झा	शिक्षक		शिक्षा
19/12/2000	स्व० रघुनाथ प्रधान शि० प्रा० वि० अलासी	श्री अजित कुमार प्रधान	शिक्षक		शिक्षा

14	19/12/2000	स्व० विमल कान्त झा सां. शि० उं वि० लोहा	सुश्री अंजू कुमारी	शां. शिक्षक		शिक्षा
15	19/12/2000	स्व० अरदुल मजीद शि० प्रा० वि० मझाबिया	श्री म० शहजाद हैदर	शिक्षक		शिक्षा
16	19/12/2000	स्व० यमुनाधर साह शि० म० वि० कभलपुर (बासोपट्टी)	सुश्री शोभा साह	शिक्षक		शिक्षा
17	19/12/2000	स्व० गणेशचर प्रसाद सिंह शिक्षक म० वि० कमडिया	श्री संजय कुमार सिंह	शिक्षक		शिक्षा
18	19/12/2000	स्व० सुखदेव साह प० अ० म० वि० जगन्नाथ। (बासोपट्टी)	श्री देवन साह	शिक्षक		शिक्षा
19	19/12/2000	स्व० रामपुकर सिंह शिक्षक प्रा० वि० अंधरावली	श्री अरुण कुमार सिंह	शिक्षक		शिक्षा
20	19/12/2000	स्व० म० फजले करीम शि० उं वि० राजनगर	म० जहाँगीर	शिक्षक		शिक्षा
21	19/12/2000	स्व० हरिशचन्द्र कामत शि० प्रा० वि० घोटकी सांभि	श्री राधानन्दन कामत	शिक्षक		शिक्षा
22	19/12/2000	स्व० राम रतन पांडे शि० म० वि० बासोपट्टी	श्री राम नरेश पांडे	शिक्षक		शिक्षा
23	19/12/2000	स्व० म० जयरुल हक शि० प्रा० म० तैलिया पोखड़ मधुबनी।	म० सनाउल्लाह	शिक्षक		शिक्षा
24	19/12/2000	स्व० सुरत साह, शिक्षक प्रा० वि० पथराही खुटौना	श्री कृंवर प्रसाद साह	शिक्षक		शिक्षा
25	19/12/2000	स्व० अरदुल जलील शि० प्रा० वि० बलछा रहिका	म० जमील अख्तर	शिक्षक		शिक्षा
26	19/12/2000	स्व० बत्तेलाल मोती शि० प्रा० वि० सिकटियाही	श्री रामचन्द्र प्रसाद राम	शिक्षक		शिक्षा
27	19/12/2000	स्व० राज गारायण सिंह शि०-प्रा०-वि०-झारवा पोपरडीहा	श्री अरविन्द कुमार सिंह	शिक्षक		शिक्षा
28	19/12/2000	स्व० पृथु दास शिक्षक म० वि० जरेल	श्री आलोक रंजन दास	शिक्षक		शिक्षा
29	19/12/2000	स्व० दिलेश्वर ठाकुर नियाला शि० प्रा० वि० रैयमा	श्री राजकुमार ठाकुर	शिक्षक		शिक्षा
30	19/12/2000	स्व० कारी मेहतर आदेशपाल उं वि० रमौली	श्री लक्ष्मी राम	-	चतुर्थ वर्ष	शिक्षा

31	19/12/2000	स्व० माया देवी, आदिशपाळ सां कं० मां० वि० मधुवनी	श्री अंजनी कुमार	शिक्षक		शिक्षा
32	19/12/2000	स्व० राम नारायण यादव शि० प्रा० वि० सुक्री खजौली	श्री मकेश्वर प्रसाद यादव	शिक्षक		शिक्षा
33	19/12/2000	स्व० नित्यानन्द राय सां शि० उं वि० खुटौना	श्री लखन कुमार राम	शिक्षक		शिक्षा
34	19/12/2000	स्व० विनोद कुमार झा पुरुष कक्ष सेवक प्रा० स्वा० के० मधुवापुर	श्रीमती देवता देवी		वर्ग	स्वास्थ्य विभाग
35	19/12/2000	स्व० मेहेश चौधरी कं० प्रा० स्वा० केन्द्र विस्फी परसौनी	श्री हरिमोहन चौधरी	सहायक	वर्ग	स्वास्थ्य विभाग
36	19/12/2000	स्व० भुविनाथ गोली परि० प्रा० सत० राजनगर	श्री मनोज कुमार राम	सहायक		स्वास्थ्य विभाग
37	19/12/2000	स्व० रामसुन्दर शंजरी पु० परी० कार्या० प्रा० स्वा० के० वासोपट्टी	श्री हेमन्त कुमार	सहायक		स्वास्थ्य विभाग
38	19/12/2000	स्व० सुगुनलता प्रसाद, पु० पु० परी०का० प्रा० का० सत० मधुवनी	श्री सतीष कुमार	सहायक		स्वास्थ्य विभाग
39	19/12/2000	स्व० रामेश्वर साह चं० वं० अति स्वा० के० तौकडी	श्री गोपाल प्रसाद	सहायक		स्वास्थ्य विभाग
40	19/12/2000	डा० राम शंकर रवि वि० पटा० अति० प्रा० स्वा० केन्द्र साहराट	श्री रमेश शंकर	सहायक		स्वास्थ्य विभाग
41	19/12/2000	स्व० सुर्य नारायण झा, नलकूप मिरसी झंझारपुर।	श्री कृष्ण कान्त झा		वर्ग	लौ० स्वा० वि०
42	19/12/2000	स्व० लक्ष्मण झा नलकूप मिरसी मधुवनी।	श्री सनात कुमार झा		वर्ग	लौ० स्वा० वि०
43	19/12/2000	स्व० तांकेश्वर ठाकुर नलकूप खलासी तौ० स्वा० प्रमांझ मधुवनी।	श्री भुवनेश्वर ठाकुर	सहायक		लौ० स्वा० वि०
44	19/12/2000	स्व० सुरेश प्रसाद, नलकूप यादव नलकूप प्रा० मधुवनी।	श्री नरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	सहायक		नलकूप प्रमांझ
45	19/12/2000	स्व० राम प्रीत राम पन्थ यादव लघु० सिवाई प्रा० मधुवनी	श्री चन्द्र मोहन राम		वर्ग	लघु सिवाई
46	19/12/2000	स्व० अवधेश कुमार टंक लघु० सिवाई प्रा० मधुवनी	श्री राकेश शैशन			लघु सिवाई
47	19/12/2000	स्व० नगेश प्रा० यादव	श्री रामचन्द्र यादव	सहायक		राजस्व प्रमांझ

48	19/12/2000	स्व० दिनेश्वर पासवान कामटार पौधा सरक्षण कार्यालय मधुबनी	श्री रासे पासवान		चतुर्थ वर्ग	
49	19/12/2000	स्व० तन्द्र शुष्ण शुभा, कोष रक्षक प० का० न० वेनीपट्टी	श्री रंजन कुमार			
50	19/12/2000	स्व० रामशशीष साह सर्वेक्षक प० को० न० खुटौना	श्री नन्द कुमार		सहायक	
51	19/12/2000	स्व० तनन्द शेरर झा, क० अग्नि० प० को० न० प्र० खुटौना	श्री प्रदीप कुमार झा			चतुर्थ वर्ग
52	19/12/2000	स्व० भो० सर्पक चौकीदार प० का० न० अ० वीरपुर जयनगर	भो० हकीम			
53	19/12/2000	स्व० वृज बिहारी यादव, प० को० न० प्र० फुलपरास शिविर घोषरडीहा	श्री शिवकुमार यादव			चतुर्थ वर्ग
54	19/12/2000	स्व० महिन्द्र यादव, पथ श्रमिक पथ प्रमुख मधुबनी	श्री शिव प्रसाद यादव			
55	19/12/2000	स्व० ताराकान्त दास, सहायक प० पटा० झंझारपुर	श्री इन्द्र शुष्ण		सहायक	
56	19/12/2000	स्व० मुसा अरारी, व० व० कर्मा० उपनोपत फोरम मधुबनी	भो० पिरोज अरारी			चतुर्थ वर्ग
57	19/12/2000	स्व० बालेश्वर तिवारी अनु० वाट नि० प्र०-१ झंझारपुर	श्री महेश तिवारी			चतुर्थ वर्ग
58	8/1/01	स्व० हजारी पासवान, अनुसेवक शा० अग्नि० सं० प्रमंडल मधुबनी	श्री महेश पासवान		सहायक	
59	28/2/2001	स्व० उपनारायण ताल आदेशपाल, म० वि० साहर (मधुवापुर)	श्री अनील ताल कर्ण		शिक्षक	
60	28/2/2001	स्व० सुरदिव मह्या, शिक्षक प्रा० वि० पवहर दक्षिण जयनगर	श्री देवनाथ मह्या		सहायक	
61	28/2/2001	स्व० सत्यदेव मंडल आदेशपाल उ० वि०-शुभनगर	श्री सुरेश कुमार मंडल			चतुर्थ वर्ग
62	28/2/2001	स्व० राजेश्वर प्रसाद सिंह शिक्षक, प्रा० वि० खौरी नदीन, झंझारपुर	श्री राम प्रकाश सिंह		शिक्षक	शिक्षा
63	28/2/2001	स्व० समीर रक्षान शिक्षक,	भो० जियाउर रक्षान		शिक्षक	शिक्षा
64	28/2/2001	स्व० सुरेन्द्र नारायण मिश्र शिक्षक म० वि० सिघासो, विस्फी	श्री अनित कुमार मिश्र		शिक्षक	शिक्षा

82	26/07/2001	स्व० विश्वनाथ ठाकुर अनु० अंतल काया० इंझारपुर	श्री कुलदीपकुमार	सहायक			समाहरणार्थ
83	26/07/2001	स्व० सोनेन्द्र नारायण ठाकुर स० शि०, उं० वि० जगन्नाथ	श्री मनोज कुमार	तिथिक			
84	26/07/2001	स्व० ब्रजा प्रसाद यादव, शिक्षक म० वि० तरडीहा मधेपुर	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव				
85	26/07/2001	स्व० राजेश्वर राय, स० शि० उं० वि० गोरगावां अंधाराठी	मनीश कुमार राय	तिथिक			
86	26/07/2001	स्व० खट्टर साफी शिक्षक प्रा० वि० भपटियाही, अंधाराठी	श्री सरोज कुमार साफी				
87	26/07/2001	स्व० महेन्द्र नारायण चांद शि० प्रा० वि० ततानपट्टी खुटीना	श्री वैजू कुमार				
88	26/07/2001	स्व० अभय कान्त झा सेवक प्रा० स्वा० के० जयनगर	श्री सतीश कुमार झा	तिथिक			
89	26/07/2001	स्व० भगवान दास गुप्ता प्रा० वि० सटर अस्पताल मधवनी	श्री सुधीर कुमार	तिथिक			
90	26/07/2001	स्व० राम सुकुमारी देवी स्व० परिवारिका, प्रा० स्वानके० घोघरडीहा	श्री जितेन्द्र कुमार	तिथिक			
91	10/9/01	स्व० शुनेश्वर झा स० शि० म० वि० परसौनी	श्री संजय कुमार झा				
92	10/9/01	स्व० मनोरंजन प्रा० सिंह स० शि० म० वि० न्योर	श्री देवेन्द्र प्रा० सिंह				
93	10/9/01	स्व० लक्ष्मण झाए स० शि० अं० उ० वि० शट्टीमखर	श्रीमती मुनैर देवी				
94	10/9/01	स्व० चन्द्रेश्वर ठाकुर, स० शि० म० वि० विट्टूर	श्री अवजीत कुमार			चतुर्थ वर्ष	
95	10/9/01	स्व० राजेन्द्र राय, स० शि० म० वि० वैल्हार	श्री रुद्र नाथ राय				
96	10/9/01	स्व० प्रभात गा० झा स० शि०, प्रा० वि० मटगा	श्री संजय कुमार झा				
97	10/9/01	स्व० मैमूना खट्टीन, स० शि० प्रा० वि० मटगा	मो० नारायणदीन				
98	10/9/01	स्व० एम० एच० अजाद गिरीशक, गृह रक्षा गाहिनी मधुवनी	श्री गुजप्पर हन				

99	10/9/01	स्व० वनदेश्वर प्रसाद सिंहा पश्चात् लिण्ण पं० को० नं०-२ जयनगर	श्री अनीतकुमार रिहा	लिपिक		
100	10/9/01	स्व० सत्यवतानन्द मिश्र क० अमीन कोशी नहर खर्जीली	श्री वन्द गांधव	लिपिक		
101	10/9/01	स्व० जानकी प्र० सिंहा, भांडारपाल कमला नहर प्र० जयनगर	श्री वसंत कुमार सिंहा	लिपिक		
102	10/9/01	स्व० सोनाई मंडल चौकीदार पं० को० नं० प्र० राजनगर	श्री राम विलास मंडल	लिपिक		
103	10/9/01	स्व० बलदेव साहू प्रभारी प्र० अ०, मं० वि० नोकराही	श्री कमलेश कुमार			
104	20/10/2001	स्व० शिव प्रसाद चौधरी अमीन जिला भूउत्तर्जन, मधुबनी	श्री प्रभात कुमार चौधरी			
105	20/10/2001	स्व० गुमल हेला, जीपवालाक प्र० कार्या० मधुवापुर	मो० सनाउल्लाह		चतुर्थ वर्ग	
106	20/10/2001	स्व० वसी अहमद, नालकूप भिरनी लो० स्वा० अ० प्र० मधुबनी	मो० सरफराज अहमद			
107	20/10/2001	स्व० सत्येन्द्र कुमार सिंह श्री० प्रा० वि० तलानपट्टी विधैली	श्री अनिल कुमार सिंह			
108	20/10/2001	स्व० राधा विहारी यादव श्री० प्रा० वि० सपहटोल झंझारपुर	श्री भूपेन्द्र कुमार यादव			
109	20/10/2001	स्व० रामसेवक सिंह सं० श्री० मं० वि० सिमरी राजनगर	श्री सतीश प्र० सिंह			
110	20/10/2001	स्व० महेश्वर यादव, श्री० प्रा० वि० लजानदीड मुगुहारी राजनगर	श्री अनिल कुमार सिंह			
111	20/10/2001	स्व० शिवजी महतो सं० श्री० प्रा० वि० तेहरा बागुहारही	श्री संतोष कुमार			
112	20/10/2001	स्व० रामेश्वर साह आदिशपाल, उ० वि० नोकरासाही-सुदौना	श्री राम लखन साह		चतुर्थ वर्ग	
113	20/10/2001	स्व० सुधीर कुमार सिंह आरक्षी ११४ आरक्षी अदीक्षक कार्यालय मधुबनी	मो० दीकु सिंह			
114	26/11/2001	स्व० कटीर झा, नालकूप चालक नालकूप प्रमंडल मधुबनी	श्री राज कुमार झा			
115	26/11/2001	स्व० लक्ष्मी नारायण यादव श्री० प्रा० वि० सेतीवेती	श्री राम चन्द्र प्रसाद			

116	26/11/2001	स्व० गो० जालीद कुशील डि० प्रा० डि० रामसेवारी	गो० शशीम आरतर	शिक्षक			
117	29/12/2001	स्व० कला चाल झा, अमीन डि० श्री० वग० मधुबनी	श्री अरविन्द कुमार झा	शिक्षक			
118	29/12/2001	स्व० रामचन्द्र राय, शिपिक डि० शशिन्द्र शिपि मधुबनी	श्री निरिन्द कुमार	शिक्षक			
119	29/12/2001	स्व० भागवत शरण शिद वियतीशण, प० को० न० प्रमोद अझारपुर	श्री दिवीय कुमार शिद	शिक्षक			
120	29/12/2001	स्व० गिरजा देवी, आदेशपाल जिला उद्योग केन्द्र मधुबनी	श्री दुबुनारिब नारायण यादव	शिक्षक			
121	29/12/2001	स्व० शिवनाथ राम, प्रवधक जिला उद्योग केन्द्र मधुबनी	श्री आनन्द कुमार राम	शिक्षक			उद्योग विभाग
122	29/12/2001	स्व० सुशील कुमार झा, अवल अधिकारी, प० प्र० सिवाई मधुबनी	श्री मिथिलानन्द झा	शिक्षक			राजस्व प्र०
123	29/12/2001	स्व० चाल कृष्ण प्रसाद नलकूप ड्रिंक तबु सिवाई प्र० मधुबनी	श्री वृज विदेश्वर झा			वर्तुष वर्ग	
124	29/12/2001	स्व० रामनारायण भादरी प्र० प्र० प्रशिक्षक प्रा० स्वा० के० घोषरडीहा	श्री समरेन्द्र कुमार	शिक्षक			तदुपस्थित
125	30/01/2002	स्व० सु रेश्म ठाकुर प० से० प्रमोद कार्यालय खुटीना	श्री विमलेशकुमार ठाकुर	कि० व० शिपिक			समाह्वयताय
126	30/01/2002	स्व० मकखन पडित शिक्षक प्रा० डि० बरहारा राजनगर	श्री शशुषन प्रसाद	शिक्षक			शिक्षा विभाग
127	30/01/2002	स्व० लविताल प्रसाद शिक्षक प० म० डि० प्रह्लापुर घोषरडीहा	श्री पवन कुमार कश्यप	शिक्षक			शिक्षा विभाग
128	30/01/2002	स्व० रामचरण ठाकुर शिक्षक म० डि० चम्पा बेनीपट्टी	श्री विद्याल चन्द्र ठाकुर				
129	30/01/2002	स्व० प्रयाग नाथ झा, शिक्षक म० डि० महाराजगंज मधुबनी	श्री कैलाशनाथ झा	शिक्षक			शिक्षा विभाग
130	30/01/2002	स्व० नथुनी मंडल आदेशपाल उ० डि० संतनगर	श्री गणपति मंडल				शिक्षा विभाग
131	30/01/2002	स्व० वद्री नारायण राम आदेशपाल उ० डि० नरहिया	श्री मदन कुमार राय	उ० डि० में डि० वर्षीय शिपिक के पद पर।			शिक्षा विभाग

132	27/02/2002	स्व० हनुमन्टिन्ट भगत जनसेवक प्रसन्न करालकर राजानगर स्व० पारस गांधी चौकरी, राजकोट, 30 क० झंझारपुर	श्री प्रमोद कुमार भगत	शि० वनविधिक	समाह्वयकार
133	27/02/2002	स्व० पारस गांधी चौकरी, राजकोट, 30 क० झंझारपुर	श्री सदीप कुमार चौधरी	शि० वनविधिक	समाह्वयकार
134	27/02/2002	स्व० रेवती कान्त झा शिक्षक नं० शि० नैती लखनौर	श्री जितेन्द्र कुमार झा	गृतीय वर्ग शिक्षक	शिक्षा विभाग
135	27/02/2002	स्व०- योलाधर- यादव शि० नं० शि० तौकही	श्री अरुण कुमार राउत	गृतीय वर्ग शिक्षक	शिक्षा विभाग
136	27/02/2002	स्व० दीना नाथ मिश्र शिक्षक नं० शि० टेगरी, मधेपुरा	श्री संजय कुमार मिश्र	गृतीय वर्ग शिक्षक	शिक्षा विभाग
137	27/02/2002	स्व० भावता झा शि० नं० शि० धर्मडीहा	श्री मुकेश कुमार झा	गृतीय वर्ग शिक्षक	शिक्षा विभाग
138	27/02/2002	समवेतपुर ठाकुर शि० प्रा० शि० किलखवार, राजानगर	श्री लालन कुमार ठाकुर	गृतीय वर्ग शिक्षक	शिक्षा विभाग

MTC:Madhubani
appo